

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 2090 / 2012 / जालौर  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स बालाजी फिलिंग स्टेशन  
डूंगरी

.....प्रत्यर्थी

2.अपील संख्या 2092 / 2012 / जालौर  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स शंकर आटोमोबाइल्स,  
रानीवाडा

.....प्रत्यर्थी

3.अपील संख्या 2093 / 2012 / जालौर  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स रामदेव मोटर्स  
करडा

.....प्रत्यर्थी

4.अपील संख्या 2094 / 2012 / जालौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स हनुमान ऑयल स्टोर्स  
बागरा

.....प्रत्यर्थी

5.अपील संख्या 2095 / 2012 / जालौर  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स विशाल सर्विस सेन्टर  
बागोडा

.....प्रत्यर्थी

6.अपील संख्या 2096 / 2012 / जालौर  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स एस.आर.ब्रदर्स  
जालौर

.....प्रत्यर्थी

7.अपील संख्या 2097 / 2012 / जालौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
जालौर

.....अपीलार्थी

बनाम  
मैसर्स पी.आर.बोहरा एण्ड ब्रदर्स  
लीरपुरा, जालौर

.....प्रत्यर्थी

2

2.अपील संख्या 2090 / 2012, 2092 से 2096 / 2012 / जालौर

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.के.बैद,  
राजकीय उप अभिभाषक  
श्री पी.एम.चौपडा  
अभिभाषक


विभाग की ओर से  
प्रत्यार्थियों की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.04.2014

निर्णय

उपरोक्त सातों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 13 व 15 से 20 / आरवैट / जालौर / 11-12 व में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 25.04.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर (जिसे आगे " कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा आरोपित की गई कर एवम् ब्याज की राशि को अपने आदेशों से अपास्त किया है। उपरोक्त सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान निहत है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ पृथक-पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(28)एफ.डी / टैक्स / 07 / 145 दिनांक 9.3.2007 के अनुसार कम्पोजीशन स्कीम के पैरा संख्या 4.01 में दी गई समय सीमा में प्रशमन राशि जमा नहीं कराई गई, इसलिए उक्त स्कीम के पैरा संख्या 5.04 के अनुरूप समस्त देय कम्पोजीशन राशि मय ब्याज एवं विलम्ब शुल्क के दिनांक 31.3.2008 से पूर्व जमा कराने पर ही स्कीम का लाभ देय है। प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा प्रशमन स्कीम के पैरा 5.04 की अनुपालना नहीं की गई है, इसलिए व्यवहारियों के प्रशमन स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ को कर निर्धारण अधिकारी ने नकारते हुए आलोच्य वर्ष 2007-08 में घोषित बिक्री पर नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.3.2009 को पारित करते समय कम्पोजीशन स्कीम के प्रावधानों का अवलोकन करने के पश्चात कर एवं ब्याज आरोपित किया था परन्तु देरी के लिए शास्ति माफ कर थी। बाद में मूल कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित कर निम्न तालिका के अनुसार कर एव ब्याज आरोपित कर दिया,जिसको प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त कर



### 3. अपील संख्या 2090/2012, 2092 से 2096/2012/जालौर

अपीलें स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन सुयुक्त आदेश दिनांक 25.04.2012 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से उपरोक्त सभी अपीलें प्रस्तुत की गई हैं :-

अपील संख्या	वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर	ब्याज
2090/12	07-08	27.5.11	69331	21668
2091/12	07-08	27.5.11	121423	37952
2092/12	07-08	27.5.11	65998	20331
2093/12	07-08	27.5.11	59602	18633
2094/12	07-08	27.5.11	30190	9414
2095/12	07-08	27.5.11	407635	127478
2096/12	07-08	27.5.11	56733	17725
2089/12	07-08	27.5.11	8264	2572

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों से विलम्ब से कम्पोजीशन स्कीम में आवेदन किया था और समयावधि बाहर होने के कारण उन्हें शुल्क जमा कराना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं जमा कराया है और मूल कर निर्धारण आदेश पारित करते समय विलम्ब शुल्क आरोपित करने से रह गया था इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत दिनांक 27.5.2011 को आदेश पारित कर उन्हें संशोधित करते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने कथन किया कि उक्त प्रकरण अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत आते हैं परन्तु अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रकरणों को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन योग्य नहीं मानते हुए अनुचित रूप से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.5.2011 को अपास्त किये हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत सभी अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत मूल कर निर्धारण आदेश चेतन्य मस्तिष्क, सोच विचार एवं कम्पोजीशन के प्रावधानों का अवलोकन करने के पश्चात कर पारित कर, कर एवं ब्याज आरोपित किया था तथा देरी के लिए शास्ति माफ (waive) कर दी थी, इस प्रकार से पारित आदेश को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों को संशोधित किया जा सकता है जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों और जिनमें किसी वाद विवाद का विषय नहीं हों, परन्तु हस्तगत प्रकरणों में ऐसी कोई भूल रिकार्ड से परिलक्षित नहीं होती है जिसको उक्त धारा के अन्तर्गत संशोधित

#### 4. अपील संख्या 2090 / 2012, 2092 से 2096 / 2012 / जालौर

किया जाये। उनका कथन है कि कर बोर्ड की विभिन्न पीठों ने अभिनिर्धारित किया है कि चैतन्य मस्तिष्क एवं स्वविवेक से पारित किये गये आदेश में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण अंकित करते हुए अपीलें स्वीकार की है, जो पूर्णतः विधिक एवं उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.08.2009 को पारित किये थे, जिनको अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित कर आदेश दिनांक 27.5.2011 को पारित करते हुए कर एव ब्याज आरोपित किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने चैतन्य मस्तिष्क एवं स्वविवेक का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत पारित किए थे, जिनमें अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत में संशोधन नहीं किया जा सकता है। निर्णय हेतु विचाराधीन प्रश्न है कि क्या चैतन्य मस्तिष्क एवं स्वविवेक से पारित किये गये आदेश को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है अथवा नहीं ?

उक्त प्रश्न के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 33 को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा :-

**"33. Rectification of a mistake :- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted this Act may rectify suo moto or otherwise any order passed by him.**

**Explanation.** – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

अधिनियम की उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेशों में संशोधन **mistake of fact and mistake of law** के अनुरूप ही किया जा सकता है, अर्थात् कर निर्धारण में यदि कोई गणना की भूल रह गई हो तो उसका सुधार किया जा सकता है एव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप भी इस धारा के अन्तर्गत तदनुसार कर निर्धारण आदेश में संशोधन किया जा सकता है। उक्त दो भूलों के विपरीत अन्य कोई भूल के आधार पर कर निर्धारण आदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता है।



5. अपील संख्या 2090 / 2012, 2092 से 2096 / 2012 / जालौर

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारियों की ओर से उद्धरित **Mohamedali Esmail V. Commissioner of Sales Tax (1991)82 STC 50(Bombay)** एवं **Vignayan Industries Ltd.Vs. State of Karnataka (1994)92 STC 270(Karnataka)** के न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण अंकित करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया है :-


“उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के ससम्मान अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेशों में संशोधन उसी भूल का होता है जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है एवं बहस करने योग्य नहीं हों। विचाराधीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैट एक्ट की धारा 24 में सम्पूर्ण सोच विचार के बाद पारित किए गए हैं अब पुनः उन्हें वैट एक्ट की धारा 33 में **mistake of fact and mistake of law** के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक होने से अपास्त होने के कारण अपास्त किये जाते हैं तथा व्यवसाई की अपीलें स्वीकार की जाती हैं।”

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टि एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकरण में प्रांसगिक सन्दर्भ में निर्णय पारित किया है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

***“The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.***

***In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-***


***“8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding***



*for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner. An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such inquiry as he deems necessary in this behalf."*

*In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held that such a power of rectification could only be exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the context of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.*

*Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of*



*the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/ modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.*

*Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को विधिक रूप से संशोधित नहीं जा सकता है।


प्रकरणों के तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने चैतन्य मस्तिष्क एवं स्वविवेक के आधार पर अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किये थे, जिन्हें अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उपरोक्त विलेपित तथ्यों, विधिक प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में संशोधित नहीं किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर



8. अपील संख्या 2090 / 2012, 2092 से 2096 / 2012 / जालौर

संयुक्त आदेश दिनांक 25.4.2012 पारित किया है, जो पूर्णतः विधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्त आदेश दिनांक 25.04.2012 की पुष्टि की जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

  
(सुनील शर्मा )  
सदस्य